(132)

# माननीय न्यायालय म.प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर

नि - 2902 - PBR-16

प्रकरण कं0 / 2016 निगरानी

भंवरलाल पिता कन्हैयालाल महाजन आयु 74 वर्ष धंधा कृषि निवासी नूतन विद्यालय रोड, नीमच ........आवेदक

विरूद्व

01. म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नीमच जि. नीमच
02. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार नीमच

......अनावेदकगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री प्रताप मेहता
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 04/07/16
04-7-16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

## निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड– नीमच जिला नीमच ने प्रकरण क्रमांक 8/अ–68/14–15 मे दिनांक 30.04.2016 को जो आदेश पारित किया उससे असंतुष्ट होकर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2402–पीबीआर/16 जिला नीमच

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26–7–2017 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.4.2016 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत पारित मूल आदेश का पालन न करने के कारण तहसीलदार ने अग्रिम कार्यवाही का प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी की ओर भेजा जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार को मात्र संहिता के प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये हैं, जिनमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |